न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2022/09

1. लालाराम पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह
2. रामस्वरूपपु्त्र मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह
3. कालूराम पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह

   निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. कैली पुत्री मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह, पत्नी जगदीश
5. लाली पुत्री मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह पत्नी रामलाल
6. गेंदी पुत्री मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह पत्नी लल्लू

   समस्त निवासी 33, जाट कॉलोनी पूनियां की ढाणी, भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. पांची पुत्री मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह पत्नी कैलाश
8. मोनी पुत्री मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह पत्नी धारा सिंह
9. भूरी पत्नी मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र स्व0 नृसिंह निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. छोटी देवी पत्नी रामू निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

– वादीगण –

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र सुवालाल
2. शंकर लाल पुत्र सुवालाल
3. हनुमान सहाय पुत्र सुवालाल

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सुशीला पत्नी वृजविहारी पुत्री सुवालाल
5. गीता पत्नी भंवर लाल पुत्री सुवालाल

   समस्त जाति जाट निवासी कानपुरा पोस्ट गाड़ोता, तहसील मौजमाबाद जयपुर।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा ... तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर उप तहसील बगरू जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:41:42 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

–प्रतिवादीगण–

दावा बावत् घोषणा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
व धारा 151 सीपीसी

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार गठाला अप्रार्थी / वादी
2. श्री गोगराज चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 से 5
3. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 से 5

निर्णय – दिनांक : 07.04.2022

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादीगण ने उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध भूम गत खसरा नंबर 145 व 137 एवं हाल खसरा नंबर 421, 422, 423, 491, 495 के संबंध में वाद बावत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सही व वास्तविक तथ्यो को छिपाकर मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मकानात, होद, बाडा, कुआ, बोरिंग आदि बने हुए है। तथा विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। भूमि गत खसरा नंबर 145 व 137 जिसके हाल खसरा नंबर 353, 355, 420, 421, 422, 423 है, जबकि वादीगण ने वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित हाल खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 145, 137 से बनाये जाने के तथ्य अंकित किये है तथा साबिक खसरा नंबर 145 व 137 के हाल खसरा नंबर 491 व 495 नहीं है तथा नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 28.05.61 में साबिक खसरा नंबर 145 व 137 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा वादीगण के पूर्वज नरसिंह पुत्र देवा के नाम से तथा खसरा नंबर 145 रकबा 16 विस्वा, खसरा नंबर [illegible] रकबा 18 विस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 7 विस्वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज [illegible] कन्या के नाम से दर्ज हुये है तत्पश्चात वादीगण के पूर्वज [illegible] ने ए.एस.ओ. सांगानेर जयपुर के यहाँ खातो में गलत हिस्सो को दुरूस्त करवाने बावत् दिनांक 30.07.1986 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बनयान करवाये गये, जिस पर दिनांक 30.07.86 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि के खातो में दुरूस्ती बावत् निर्णय पारित कर हिस्सा दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

किया गया जिसे वादीगण व उनके पूर्वजो द्वारा चुनौति नही दी गई एवं वादीगण के पूर्वज मूरली, रामू पुत्रान् नृसिंह ने एक वाद उनवानी मूरली बनाम मुकन्या वगैहरा न्यायालय सहायक जिलाधीश चाकसू कैम्प कोर्ट सांगानेर के समक्ष पैतृक भूमि विवादित भूमि एवं अन्य भूमि के संबंध में दावा बाबत् इस्करार हक प्रस्तुत किया, जो कालान्तर में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय द्वारा दिनांक 12.12.2007 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 12.12.2007 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 17.03.2008 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 15.09.2017 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में सिविल रिट पिटिशन नंबर 15117/18 उनवानी भगवान सहाय बनाम मुरली वगै. प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है तथा वादीगण पक्षकार है, उक्त रिट पिटिशन में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2018 को आदेश पारित कर उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित कर रखा है, जिससे मामला सबज्यूडिस है तथा वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजो एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो चैना पुत्र रतना रूपा पुत्र चैना की भूमि है तथा वादीगण व वादीगण के पूर्वजो को उक्त सभी तथ्यों की प्रारम्भ से ही जानकारी है तथा पूर्व के प्रकरणो में विवादित भूमि के संबंध में ही विवाद लम्बित है तथा वादीगण एस्टोप्ड व पाबन्द है तथा वादीगण का उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र के मद नंबर 10 में दिनांक 22.01.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी देने के अभिवचन किये है, लेकिन वादीगण को उक्त वाद में वर्णित तथ्यो की कब व किस प्रकार जानकारी हुई तथा उनके द्वारा कब नकल प्राप्त की गई, इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है तथा वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उक्त सभी तथ्यो की वादीगण एवं उनके पूर्वज मूरली, रामू एवं नृसिंह को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा वादीगण का उक्त वाद विवादमूल के अभाव में व मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब [illegible] बहस हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी नियत की गई। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:41:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अंकित कथनो का विवेचन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित कथनों का विवेचन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बावत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा पटवार क्षेत्र अवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 16 पुराना 47 के आराजी खसरा नंबर 421 रकबा 0.07 है0, 422 रकबा 0.02 है0, 423 रकबा 0.06 है0, 491 रकबा 0.21 है0, 495 रकबा 0.09 है0, कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर स्थित है में वादीगण के पूर्वज देवा वल्द हनुता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत् 2015 से 2034 में दर्ज व अंकित थी। जिसके साबिक खसरा नंबर 145, 137 से अवैध नामान्तकरण के आधार पर बने खसरा नंबर 145, 137/2 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 169 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 7 बिस्वा थे। वादीगण देवा पुत्र हनुता के वारिस उत्तराधिकारी है जिनका देवा पुत्र हनुता की उक्त आराजी में जन्म से अधिकार निहित है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नही है। वादीगण पूर्व में अपने पूर्वजो के समय से एवं उनकी फौती के पश्चात् वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। देवा पुत्र हनुता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादीगण के पूर्वज मुकना पुत्र भूरा ने राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत अवानिया से साठ गाठ कर बिना किसी वैधानिक अधिकार के जिसके साबिक खसरा नंबर 145, 137 से अवैध नामान्तकरण के आधार पर बने खसरा नंबर 145, 137/2 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 169 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण का नामान्तकरण संख्या 12 अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2030 से लगातार उक्त आराजी का इन्द्राज पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वज व वर्तमान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है। जो प्रारम्भ से ही वादीगण के हक अधिकारो के विपरीत होने से वलेमदम बेअसर शून्य है। दिनांक 22.01.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 एक राय होकर वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि के मौके पर आये और वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम उक्त भूमि को अपने नाम नही करवायेगे उक्त भूमि से कब्जा खाली कर दो। यह भूमि हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी[illegible] कि उक्त भूमि तो हमारे पूर्वजो से ही हमारे कब्जे काश्त [illegible] लगातार करते आ रहे है। इस पर वादीगण को आश्चर्य [illegible] वह वाद बावत् घोषणा प्रस्तुत करना लाजमी हुआ।

उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी साबिक खसर नंबर 145, 137 से बने खसरा नंबर 421, 422, 423, 491, 495 की घोषणा हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गया है। व वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 22.01.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 वगैरह व एक राय होकर वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि के मौके पर आये और वादीगण को ऐलानिया धमकी देने के कारण हुआ है। जबकि प्रार्थी के प्रार्थनापत्रानुसार वादीगण के पूर्वजों ने पूर्व में मुरली बनाम मुकन्दा के नाम से सन् 1985 में न्यायालय सहायक जिलाधीश साकरू किया कोई सांगानेर में वाद बाबत् दस्तकशी हक हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें साबिक खसरा नंबर 137/1, 145 का उल्लेख है और वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण व वादीगण के पूर्वजों को साबिक खसरा नंबर 145, 137 के राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज की पूर्ण जानकारी थी। साथ ही अप्रार्थीगण/वादीगण ने दिनांक 22.01.2022 को वाद कारण उत्पन्न होने के कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद कॉज ऑफ एक्शन व लिमिटेशन बाधित (बार्ड बॉय लॉ) होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

लालाराम बनाम भगवान सहाय वगै.

दावा बाबत् घोषणा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
व धारा 151 सीपीसी

मुकदमा नम्बर – दावा/2022/09

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद कॉज ऑफ एक्शन व मियाद बाहर (बार्ड बॉय लॉ) होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ...... मुवक्किल ...... बाबत् ......

खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

बसब्बा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner